न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 :603 सन 2018

अनवान :–

1. लादूराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
   असल प्रतिवादी
2. शान्ति पत्नी महावीर जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. सोहनलाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. भंवरी 5 सावत्री 6. सीमा 7 किताब 8 सिलोचना 9 बसकरी पुत्रीयान लादूराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 127 मीन की 20.00 बीधा भूमि सहावीर पुत्र हरचन्द के सम्वत 2012 से कब्जा काश्त की भूमि थी साबिका खसरा न0 127 मीन के गत भू प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश में हाल खसरा न0 348 की 20.00 बीधा भूमि में पैमुद किया गया है।

इसप्रकार रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 127 मीन की 20.00 बीधा भूमि हाल खसरा न0 348 की 20.00 बीधा में पैमुद हो चुकी है जो महावीर पुत्र हरचन्द के देहान्त होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वजों के कब्जा काश्त में थी एक बाद देहान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसप्रकार वाद भूमि सम्वत 2012 से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था की धारा 15 मे प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि काश्त करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात वाद भूमि सम्वत 2012 को पूर्व में वादी के पूर्वजों एवं वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त में होने के कारण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार हो गया है। किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से गेरखातेदार दर्ज है जिसके कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही ले पा रहा है इसलिये वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 821/745 के साबिका खसरा न0 127 हाल खसरा न0 348 की 5.1340हैक भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ता 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद के सम्बध में सहमति पेश की एवं पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की अलॉट शुद्वा भूमि सही रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वाद भूमि उपनिवेशन क्षैत्र में आती है उपनिवेशन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियमों के अनुसार किमतन खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर सकता है पेरोकार राज का जबाब शामिल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 127 मीन की 20.00 बीधा भूमि महावीर पुत्र हरचन्द के सम्वत 2012 से कब्जा काश्त की भूमि थी साबिका खसरा न0 127 मीन के गत भू प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश में हाल खसरा न0 348 की 20.00 बीधा भूमि में पैमुद किया गया है।

इसप्रकार रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 127 मीन की 20.00 बीधा भूमि हाल खसरा न0 348 की 20.00 बीधा में पैमुद हो चुकी है जो महावीर पुत्र हरचन्द के देहान्त होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वजों के कब्जा काश्त में थी एक बाद देहान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसप्रकार वाद भूमि सम्वत 2012 से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था की धारा 15 मे प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि काश्त करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात वाद भूमि सम्वत 2012 को पूर्व में वादी के पूर्वजों एवं वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त में होने के कारण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार हो गया है। तथा पेरोकार राज का कथन है कि उपनिवेशन क्षेत्र में वाद भूमि आने के कारण किमतन खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है वादी पेरोकार राज के कथन से सहमत है व वादी राजकीय राशि जमा करवाने के लिये भी तेयार है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की अलॉट शुद्वा भूमि सही रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वाद भूमि उपनिवेशन क्षैत्र में आती है उपनिवेशन नियमों के अनुसार किमतन खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर सकता है।

हमने उभयपक्षों को पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 127 मीन की 20.00 बीधा भूमि महावीर पुत्र हरचन्द के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज है अर्थात महावीर पुत्र हरचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज हुई है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश सम्वत 2029 से 2038 के दोरान रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 127 मीन की 20.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 348 की 20.00 भूमि में पैमुद किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है जिसके सम्बध में पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार प्रकार वाद भूमि रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 127 मीन की 20.00 बीधा हाल खसरा न0 348 की 20.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 में महावीर पुत्र हरचन्द के नाम से दर्ज थी एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही हे जिनके देहान्त होने पर उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज है एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था की धारा 15 मे प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि काश्त करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात सम्वत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरीयों में जो भूमि जिसके कब्जा काश्त में थी वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था। अर्थात उक्त अधिनियक के ताबें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे।

Web Copy - Not Official

पेराकार राज का कथन है कि वाद भूमि उपनिवेशन अधिनियम में आने के कारण किमतन खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते हे राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु पेरोकार राज का कथन से सहमत है एवं वादी भी वाद भूमि की किमत अदा करने को तेयार है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment"

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 821/745 के साबिका खसरा न0 127 हाल खसरा न0 348 की 20.00 बीधा भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को बहिब राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सिरगसर में सुनाया गया

SAzaidi
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official